

## राजस्थान सरकार

### कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित कार्य नहर निर्माण/2018-19/46682-92  
परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
बांसवाडा।

दि. 18/12/2019

विषय : सिंचाई नहर के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।  
प्रसंग : अधिशाषी अभियंता वितरण खण्ड बामुन माही परियोजना गढी बांसवाडा का पत्र क्रमांक 2142 दिनांक 22.10.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति पत्र क्रमांक 36887-92 दिनांक 26.03.2019 के क्रम में प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न निम्नलिखित सिंचाई नहरों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कार्य की अधिशाषी अभियन्ता, वितरण खण्ड (एलएमसी) माही परियोजना, गढी बांसवाडा से जारी तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि 155.85 लाख रु. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -  
कार्यकारी एजेन्सी- वितरण खण्ड (एलएमसी) माही परियोजना, गढी (राशि लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
		क्र./दि.	राशि	
1	2	3	4	5
1	Renovation & Repair of Malwasa Minor II from RD 0.00 M to Km. 4.400	226/2019-20	155.85	50.00

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 155.85 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त रु. 50.00 लाख की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 40/ 2019-20 दिनांक 08.11.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 300.00 लाख में से दी जायेगी। शेष राशि कार्यों की प्रगति के आधार पर आवश्यकतानुसार दी जायेगी। कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर जारी कार्यादेश अनुसार ही कराया जावे एवं किसी भी स्थिति में कार्यादेश से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावे जिन्हें विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया जा सके।
6. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी।
7. कार्यकारी एजेन्सी उन्हें उपलब्ध कराई गई राशि की कार्य की प्रगति एवं व्यय अनुसार नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उपलब्ध करायेगे।
8. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।

(शिवांगी स्वर्णकार)IAS  
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित कार्य नहर निर्माण/2018-19/46682-92 दि. 18/12/19  
प्रतिलिपी :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण वृत्त माही प्रोजेक्ट, बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमित निरीक्षण करें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, वितरण खण्ड (एलएमसी) माही प्रोजेक्ट, गढी बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यों का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 40/ 2019-20 दिनांक 08.11.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 300.00 लाख में से प्रथम किश्त की राशि रु. 50.00लाख (परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करें।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अति. आयुक्त (द्वितीय)  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721  
ई-मेल : comm.tad@gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in